रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

क. वसूलियॉ और प्राप्तियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1584.86	75.82	1660.68	1190.00	142.98	1332.98	1166.96	66.28	1233.24	171.49	63.67	235.16
	पूंजी	***21.70***	...	*21.70*	*10.00*	*0.03*	*10.03*	*8.04*	...	*8.04*	*35.51*	*0.01*	*35.52*
	जोड़	**1606.56**	**75.82**	**1682.38**	**1200.00**	**143.01**	**1343.01**	**1175.00**	**66.28**	**1241.28**	**207.00**	**63.68**	**270.68**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.30	12.17	12.47	0.70	13.22	13.92	0.70	15.87	16.57	0.50	15.80	16.30
उद्योग													
पैट्रो रसायन उद्योग													
2. सेंट्रल इंस्टीटयूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सीआईपीईटी)	2852	21.70	...	21.70	140.96	...	140.96	140.96	...	140.96	87.81	...	87.81
3. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	2852	1552.00	...	1552.00	880.00	0.01	880.01	859.46	0.01	859.47	0.01	0.01	0.02
4. पैट्रोरसायन की नई योजनाएं	2852	8.63	...	8.63	39.50	...	39.50	39.50	...	39.50	41.50	...	41.50
जोड़-पैट्रो रसायन उद्योग		**1582.33**	**...**	**1582.33**	**1060.46**	**0.01**	**1060.47**	**1039.92**	**0.01**	**1039.93**	**129.32**	**0.01**	**129.33**
रासायनिक और भेषज उद्योग													
5. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	2852	...	63.15	63.15	...	126.59	126.59	...	46.59	46.59	...	43.55	43.55
6. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	2852	0.19	0.50	0.69	4.34	3.15	7.49	4.34	3.80	8.14	5.00	4.30	9.30
7. रासायनक अस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	2852	0.89	...	0.89	1.50	0.01	1.51	1.50	0.01	1.51	1.20	0.01	1.21
8. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2852	1.19	...	1.19	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.30	...	4.30
जोड़-रासायनिक और भेषज उद्योग		**2.27**	**63.65**	**65.92**	**8.84**	**129.75**	**138.59**	**8.84**	**50.40**	**59.24**	**10.50**	**47.86**	**58.36**
जोड़-उद्योग		**1584.60**	**63.65**	**1648.25**	**1069.30**	**129.76**	**1199.06**	**1048.76**	**50.41**	**1099.17**	**139.82**	**47.87**	**187.69**
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	120.00	...	120.00	117.50	...	117.50	31.17	...	31.17
10. लोक उद्यमों को ऋण													
10.01 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि. (पी.सी.एल)	6856	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
10.02 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
10.03 हिन्दुस्तान आगैनिक केमिकल्स	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
(एचओसीएल)													
जोड़- लोक उद्यमों को ऋण		...	...	...	...	*0.03*	*0.03*	...	...	...	...	*0.01*	*0.01*
11. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6857	21.70	...	21.70	10.00	...	10.00	8.04	...	8.04	35.51	...	35.51
12. ब्याज की छूट													
12.01 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि.	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.02 घटाए-निवल प्राप्तियां	0049	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.03	0852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*-0.04*	...	*-0.04*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1606.56***	***75.82***	***1682.38***	***1200.00***	***143.01***	***1343.01***	***1175.00***	***66.28***	***1241.28***	***207.00***	***63.68***	***270.68***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
रसायन तथा भेषज उद्योग													
11.01 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एचओसीएल)	12857	17.60	-119.67	-102.07	...	...	...	8.04	-3.80	4.24	0.01	-33.41	-33.40
11.02 हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	12857	4.10	...	4.10	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
11.03 हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.	12857	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.50	...	20.50
कुल-रसायन तथा भेषज उद्योग		**21.70**	**-119.67**	**-97.97**	**...**	**...**	**...**	**8.04**	**-3.80**	**4.24**	**35.51**	**-33.41**	**2.10**
जोड़		**21.70**	**-119.67**	**-97.97**	**...**	**...**	**...**	**8.04**	**-3.80**	**4.24**	**35.51**	**-33.41**	**2.10**
ग. योजना परिव्यय													
1. पेट्रोरसायन उद्योग	12856	1582.33	...	1582.33	1060.46	...	1060.46	1039.92	...	1039.92	129.32	...	129.32
2. रसायन और भेषज उद्योग	12857	23.93	-119.67	-95.74	18.84	...	18.84	16.88	-3.80	13.08	46.01	-33.41	12.60
3. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.30	...	0.30	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	0.50	...	0.50
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	120.00	...	120.00	117.50	...	117.50	31.17	...	31.17
जोड़		**1606.56**	**-119.67**	**1486.89**	**1200.00**	**...**	**1200.00**	**1175.00**	**-3.80**	**1171.20**	**207.00**	**-33.41**	**173.59**

1. **सचिवालय:** 0.50 करोड़ रुपये का प्रावधान विभाग के सचिवालय पर खर्च के लिए है और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी पर होने वाला व्यय शामिल है।

2. **केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट):** केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना विशेष प्रशिक्षण देने और प्लास्टिक सामग्रियों के भौतिक परीक्षण के लिए की गई थी। इस संस्थान ने अमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, हल्दिया, इम्फाल, लखनऊ, मैसूर, पटना, गुवाहाटी, पानीपत, जयपुर ओर औरंगाबाद में 16 विस्तार केंद्र स्थापित किए हैं। नए केन्द्रों की स्थापना सहित वर्ष 2014-15 में 102.98 करोड़ रुपए का प्रावधान नई योजनागत स्कीमों के लिए किया गया है।

4. **अन्य पेट्रोरसायन की नई योजनाएं:** राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के अनुक्रम में पेट्रोरसायन के क्षेत्र में 11वीं योजना में शुरू की गई विभिन्न योजनाएं 12वीं योजना के दौरान जारी रहेंगी। पेट्रोरसायन और डाऊन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन, पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना, पेट्रोरसायन के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्कों और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अवार्ड जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2014-15 के लिए 57.50 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

5. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदी:** कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय और पेशेवर सेवाओं, विनिमय दर अंतर आदि से संबंधित व्यय सहित पीडितों के लिए मुआवजे के मामलों में निर्णय देने के लिए स्थापित विभिन्न न्यायालयों के सचिवालय खर्च इस प्रावधान में शामिल हैं।

6. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्यौगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह संस्थान पर्यावरण हितैषी पेस्टी साइड फार्मूलेशनों के विकास कार्य में लगा है जो किसानों की सुरक्षा ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। देश में पेस्टीसाइड उद्योग के विकास में यह संस्थान उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014-15 के लिए 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय में खरीफ फसल में कीटों के लिए बेसिल एवं हल्दी तेल और माइको हर्विसाइड से पूर्व एवं खेती पेस्ट प्रबंधन कीटनाशी के लिए सूत्रयोग विकास के लिए 11वीं योजना में ली गयी बायोसाइंस परियोजनाओ और विशलेष्णात्मक परियोजनाओ को पूरा करने के लिए तथा नए एवं विद्यमान उपकरणों के उन्नयन के लिए पूंजीगत सहायता शामिल है ।

7. **रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्यूसी):** भारत रासायनिक हथियार समझौता (सी डब्ल्यू सी) के मूल पक्षकारों में से एक है। समझौते की प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण नामक नोडल एजेंसी का भारत में गठन किया गया है। यह एजेंसी इकाइयों का परीक्षण निरीक्षण करती है, दोहरे उद्देश्य वाले रसायन उद्योगों के क्रियाकलाप की निगरानी करती है। उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है और सीडब्यूसी के क्रियान्वयन के संबंध में रासायनिक शास्त्र निषेध संगठन (ओपीसीडब्यू) की सहायता करती है। सी डब्ल्यूसी अधिनियम 1 जुलाई, 2005 से लागू हुआ है। वर्ष 2014-15 के परिव्यय रु1.20 करोड़ में इससे संबंधित संवर्द्धनात्मक और अन्य परिचारी क्रियाकलाप के लिए प्रावधान शामिल हैं।

8. **रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सीपीडीएस):** विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके रसायनों का संवर्द्धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और साथ ही पीसीपीआईआरएस की स्थापना संबंधी मामलों के लिए 2014-15 में रु.4.30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

9. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान:** यह 2014-15 में रु. 31.17 करोड़ का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए है। इस निधि में से अनिवार्य सहायता असम गैस क्रैकर परियोजना को प्रदान की जाएगी, जो क्रियान्वयनाधीन है।

10. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए ऋण:** यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मंजूर किए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।

11. हिन्दुस्तान कीटनाशक लि. (एचआईएल): कंपनी 1954 में शामिल की गई और डीडीटी में लेथियन और एंडोसल्यन के उत्पादन हेतु 3 कारखाने है। इन उत्पादों का स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम में उपयोगी किया जाता है। संयत्र मशीनरी के उन्नयन हेतु 2014-15 में रू.15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हिदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल): एचएफएल 14 जुलाई, 1983 को शामिल (हैदराबाद में पंजीकृत) हिंदुस्तान कार्बनिक रसायन लि. (एचओसीएल) की शौध कंपनी है। कंपनी पोलीटेट्रा फ्लोरो एथीलीन (मीटीएफई) और क्लोरोडाई-फ्लोरो मिथेन (सीएफएम-22) के विनिर्माण में लगी है। संयत्र व मशीनरी के उन्नयन हेतु 2014-15 में रु.20.50 करोड़ आवंटित किए गए है।